

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9761/2026

Management Committee

-----Petitioner

Versus

Rajasthan Non-Government Education Institutions Tribunal

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vishal Sharma

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/05/2026

यह रिट याचिका याची प्रबंधन समिति श्री साईनाथ विद्या मंदिर की ओर से अयाची राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिकरण के आदेश दिनांकित 06.10.2025 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अयाची संख्या-3 कर्मचारी को नियमित पुनरीक्षित वेतनमान एवं वेतन स्थिरीकरण आदि का लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया है।

सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची का कथन है कि अयाची संख्या-3 कर्मी केवल दो माह लगभग के लिए ही शारीरिक शिक्षक के पद पर वर्ष 1996 में कार्यरत रहा और शिक्षा विभाग ने उसकी नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया। याची का कथन रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में अयाची अधिकरण के आदेश के अनुसरण में जो बकाया राशि का विवरण बनाया गया था, उसके अनुसार अयाची संख्या-3 को वर्ष 1996 से 2004 तक की राशि 268413/-रूपये अदा कर दी। उसके उपरांत वर्ष 2004 से 2011 तक की राशि 269874/-रूपये भी अदा कर दी है और कोई राशि दिया जाना अब शेष नहीं रहा था।

उनका तर्क है कि गैर अनुमोदित पद पर कार्यरत व्यक्ति राजकीय कर्मचारियों को देय वेतनमान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और न ही याची

संस्थान उस अनुरूप वेतन देने के लिए उत्तरदायी है। अधिकरण ने आलौच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अधिकरण के आदेश पर रोक लगाई जावे।

अपने तर्क के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय भी प्रस्तुत किया—

मैनेजिंग कमेटी विद्या भवन सोसायटी—बनाम—फिरोज खान

2017 सुप्रीम (राज0) 83

विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय का ससम्मान अध्ययन किया गया।

अयाचीगण की तलबी हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस पेश करने पर जारी किए जावें।

अंतरिम स्थगन के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी तक अयाची राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण जयपुर के आलौच्य आदेश दिनांक 06.10.2025 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J